राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1303/2010/जयपुर.

मैसर्स अंकित रूफिंग्स लिमिटेड, कांतिचन्द्र रोड़, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   सीमावर्ती उड़नदस्ता, राजगढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/02/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्यां 106–ए/अपील्स–IV/2008–09/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.06.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, राजगढ़ (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दिनांक 03.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2008 को वाहन संख्या आर.जे.02/जी–7722 को जयपुर से फतेहाबाद (हरियाणा) जाते हुए राजगढ़ (चुरू) में चैक किया गया। वाहन में ए.सी.पाईप्स परिवहनित किये जा रहे थे। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित इन्वॉयस संख्या 131 दिनांक 31.07.2008, बिल्टी संख्या 8993 दिनांक 31.07.2008 एवं घोषणा पत्र वैट–49 संख्या 0557456 प्रस्तुत किया गया। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि घोषणा पत्र वैट–49 में अपीलार्थी व्यवहारी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा उक्त घोषणा पत्र नियत स्थानों से पंच किया हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा जवाब के साथ नया

लगातार.....2

घोषणा पत्र संख्या 1583901 प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जवाब एवं घोषणा पत्र को अस्वीकार करते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 55,230/– का आरोपण आदेश दिनांक 03.08.2008 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2010 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। घोषणा पत्र वैट–49 के क्रमांक इन्वॉयस पर लिखे हुए थे, ऐसी स्थिति में करापवंचन का कोई आशय नहीं था। घोषणा पत्र पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं होना केवलमात्र एक तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में शास्ति केवल इस आधार पर आरोपित की गयी है कि वक्त जांच घोषणा पत्र वैट–49 संख्या 0557456 में अपीलार्थी व्यवहारी के हस्ताक्षर किये हुए नहीं थे, साथ ही नियत स्थानों से पंच किया हुआ नहीं था। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त घोषणा पत्र के क्रमांक इन्वॉयस पर लिखे हुए हैं, घोषणा पत्र के सभी कॉलम्स की दस्तावेजों/माल अनुसार पूर्ति की हुई है। केवलमात्र अपीलार्थी व्यवहारी के हस्ताक्षर नहीं होने एवं पंच नहीं होने से उक्त घोषणा पत्र का करापवंचन की मंशा से अन्यथा उपयोग किया जाना नहीं माना जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज** के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त का आशय यह है कि वक्त जांच पाये गये रिक्त घोषणा पत्र, जिसका कि अन्य संव्यवहारों में भी उपयोग सम्भव हो, के समर्थन से माल परिवहन पर शास्ति आरोपणीय है। हस्तगत प्रकरण में घोषणा पत्र के सभी कॉलम्स यथा प्रेषक/प्रेषिति व्यवहारी के नाम पते, बिल

लगातार.....3

संख्या, दिनांक, माल की कीमत, ट्रांसपोर्टर व वाहन संख्या की पूर्ति की हुई है, जिसका अन्य संव्यवहारों में उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अपूर्ण घोषणा पत्र के आधार पर शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है तथा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 10.06.2010 एवं शास्ति आदेश दिनांक 03.08.2008 अपास्त किये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष